(20)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

क्रमांकः मु.अ./अनु.ग्यारह/15–16/डी– 511 दिनांकः 15.10.2015

परिपत्र

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ठेकेदारों के सूचीबद्धकरण हेतु नियम 334 एवं परिशिष्ट XVI में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्णतया पालना सुनिश्चित करने हेतु नवीन ठेकेदार को सूचीबद्धकरण करने तथा पूर्व में सूचीबद्ध ठेकेदारों के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना/पालना किया जाना वांछनीय है :–

1. किसी भी वर्ग/प्रवर्ग में सूचीबद्ध होना चाहने वाली कोई भी फर्म/कम्पनी/सोसाइटी, फर्म रजिस्ट्रार, कम्पनी रजिस्ट्रार या यथा स्थिति, सोसाइटी रजिस्ट्रार आदि से भागीदारों के नाम, संगम अनुच्छेद, उप–विधियों आदि सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की एक अनुप्रमाणित प्रति निर्धारित आवेदन पत्र (RPWA-108) तथा निर्धारित शुल्क के साथ लिया जाना सुनिश्चित करें। (Appendix-XVI, Section I, General Conditions, I.26)
2. विभिन्न प्रवर्गों/वर्गों के ठेकेदारों को सूचीबद्ध करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ठेकेदार के अनंतिम (प्रोविजनल) रूप से सूचीबद्ध कर सकेगा यदि दस्तावेज पूरे नहीं हों और कार्य के अनुभव तथा पण्यावर्त (टर्नओवर) के बारे में कोई गम्भीर कमी न हो या प्राधिकारी ठेकेदार के कामकाज का निर्धारण करना चाहता हो। अनंतिम (प्रोविजनल) सूचीबद्धकरण की अवधि एक बार में एक वर्ष होगी और कुल अनंतिम (प्रोविजनल) सूचीबद्धकरण अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। (Appendix-XVI, Section I, General Conditions, I.8)
3. सूचीबद्धकरण चाहने वाले प्रत्येक ठेकेदार द्वारा जमा करायी गई रजिस्ट्रीकरण फीस लौटाने योग्य नहीं होगी और विभाग के राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा की जायेगी। प्रत्येक ठेकेदार द्वारा जमा करायी गई प्रतिभूति निक्षेप, सूचिबद्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेगी और समय पर नवीकृत करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा इसे नियमानुसार ही लौटाया जावेगा। इन नियमों के अधीन ठेकेदार द्वारा किसी भी कारण से अनंतिम (प्रोविजनल) सूचीबद्धकरण का नवीकरण या सूचीकरण का नवीकरण चाहते समय प्रत्येक बार विहित सूचीकरण फीस के 20 प्रतिशत का भुगतान किया जावेगा किन्तु किसी भी कारण से पुनः सूचीकरण करवाने के लिये पूरी फीस का भुगतान किया जायेगा। (Appendix-XVI, Section I, General Conditions, I.5)
4. ठेकेदारों से यह प्रमाणित करने की अपेक्षा की जायेगी कि वे एक से अधिक नामों से स्वयं को रजिस्ट्रीकृत नहीं करायेंगे। (Appendix-XVI, Section I, General Conditions, I.17)
5. प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, सूचीबद्ध ठेकेदारों को आवंटित किये गये और उनके हाथ में के कार्यों का अद्यतन अभिलेख रखेगा। प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा पासबुकें जारी की जायेंगी जिसमें संबन्धित ठेकेदार को आवंटित प्रत्येक कार्य के संबन्ध में करार निष्पादित करते समय अधिशाषी अभियन्ता द्वारा प्रविष्टियाँ की जायेंगी ताकि 2 लिफाफा पद्धति के तहत निविदा आमंत्रित करने की स्थिति में लिफाफा–1 में पूर्व अवधारित मूल्यांकन मानदंड पर

आधारित संभाव्य निर्धारण (Potential Assessment) करते समय ठेकेदार के पास उपलब्ध कार्यभार की गणना करने का सुव्यवस्थित आधार उपलब्ध हो सके। (Appendix-XVI, Section I, General Conditions, I.18,29 and Rule 331 of PWF&AR)

6. ठेकेदारों के रजिस्ट्रीकरण का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात ठेकेदार स्वयं के द्वारा और विभागीय क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा प्रदायित किये जाने वाले कार्य सम्पादन आँकड़ों के आधार पर पुनर्विलोकन (Review) किया जाना सुनिश्चित करें। (Appendix-XVI, Section VII, General Conditions, VII.2)

7. ठेकेदारों का एक गोपनीय रजिस्टर सभी खण्डों में प्रारूप RPWA-110 में रखा जाना सुनिश्चित किया जावे। उक्त रजिस्टर खण्डीय अधिकारी की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखा जायेगा जिसमें खण्डीय अधिकारी, ठेकेदार की गोपनीयता बाबत्, स्वयँ के हस्तलेख से अपनी टिप्पणियों को लेखबद्ध किया जाना सुनिश्चित करें। (Appendix-XVI, Section VII, General Conditions, VII.3&4)

अतः नवीन ठेकेदार का सूचीबद्धकरण करने तथा सूचीबद्ध ठेकेदारों के संबन्ध में लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 334 एवं परिशिष्ट XVI में उल्लेखित प्रावधानों के साथ–साथ उपरोक्त बिन्दुओं की पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

9-10-15
(जी. एल. राव)
मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

क्रमांकः मु.अ./अनु.ग्यारह/15–16/डी– 511 दिनांकः 15.10.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव/वरिष्ठ निजी सहायक मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार, सा.नि.वि., राज., जयपुर।
2. निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता (भवन/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस./पथ/यांत्रिक), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि., (समस्त)।
4. तकनीकी सहायक प्रथम/अधीक्षण अभियन्ता (भवन/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस/यातायात/पथ/बी.ओ.टी./मैकेनिकल), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (समस्त), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(आलोक माथुर)
वित्तीय सलाहकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर